रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1980/पौष 10, 1902

No. 238] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1980/PAUSA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1980

शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक

सं० 8/15/78-ई०पी०--व्यापार शेष में बढ़ते हुए घाटे को पूरा करने और विदेशी मुद्रा के रक्षित कोष में जो बराबर कमी आती जा रही है, उसे पूरा करने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि अपने निर्यातों में वृद्धि की जाये। तदनुसार सरकार ने शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुखी एककों की स्थापना सुकर बनाने के लिए एक योजना अमल में लाने का निश्चय किया है। यह विनिश्चय किया गया है कि इन एककों को कुछ रियायतें दी जायें जिससे वे कीमत निर्धारण, क्वालिटी प्रियोजन आदि के मामले में विदेशों की कठोर शर्तों को पूरा कर सकें।

2. शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक का तात्पर्य एक ऐसे औद्योगिक एकक से होगा जो अपने समस्त उत्पादन को निर्यात के लिये दे दे। इसमें रद्द किये गये माल के स्वीकृत स्तर शामिल होंगे। प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर शत-प्रतिशत निर्यात करने के लिये स्वीकृत क्रमबद्ध कार्यक्रम की अनुमति होगी। इस प्रकार का एकक एक ऐसे उद्योग से संबंधित होगा जिसकी निर्यात क्षमता और निर्यात लक्ष्यों के बारे में सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद ने विचार कर लिया है। सम्बन्धित उत्पाद के संबंध में निर्यात नियंत्रण कोटा सीमायें लागू नहीं होंगी। यह सीमायें उद्योग के वर्तमान एककों द्वारा पूरी की जा सकेंगी। अभिप्राय यह है कि ऐसी क्षमता का सृजन होना चाहिये जिससे संबन्धित निर्यात हों न कि केवल प्रतिस्थापन ही हो।

3. इस प्रकार के एकक में उत्पादन के लिये कम से कम 20 प्रतिशत या उससे अधिक मूल्यवर्द्धन आवश्यक होगा। मूल्यवर्द्धन का हिसाब लगाने के लिये स्वदेश में प्राप्त कच्चा माल आयात के रूप में माना जायेगा।

4. इस प्रकार के एकक का अनुमोदन करते समय उस अतिरिक्त रोजगार को भी ध्यान में रखा जाएगा जो प्रस्तावित एकक के द्वारा सृजित होगा।

5. ऐसे उद्योगों की उदाहरण स्वरूप सूची, जिनके बारे में इस योजना के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है, संलग्न है।

6. इस योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने के इच्छुक सभी एककों से संशोधित आई एल/एफ सी फार्मों पर औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रार्थना पत्र देने होंगे। फार्मों के ऊपर "शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख उद्योग" शब्द लिखे जायेंगे। इन प्रार्थना पत्रों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा जिसके अध्यक्ष वाणिज्य सचिव होंगे।

7. बोर्ड द्वारा स्वीकृत एकक पर मोटे तौर पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

(1) एकक करार के अन्तर्गत विनिर्माण करने या और सामान्यतः दस वर्ष तक और ऐसे उत्पादों के मामले में पांच वर्ष तक जिनमें उच्च कोटि के प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की आवश्यकता हो, अपने उत्पादन का समस्त भाग निर्यात करने का वचन देगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी इन एककों को, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, बांड सुविधायें प्रदान करेंगे।

(2) पूंजीगत माल, संघटक और कच्चे माल के आयात पर आयात शुल्क की छूट होगी। तैयार माल पर भी उत्पादन शुल्क और अन्य केन्द्रीय कर नहीं लगेंगे।

(3) इन निर्यातों पर नकद सहायता, प्रतिपूर्ति लाइसेंस जैसे कोई निर्यात लाभ नहीं मिलेंगे।

(4) आवश्यकतानुसार पूंजीगत माल, संघटकों, कच्चे माल और खपत में आने वाली चीजों के निर्यात की अनुमति होगी।

(5) आवश्यक पूंजीगत माल के आयात की अनुमति मुक्त विदेशी मुद्रा या द्विपक्षीय ऋणों के आधार पर इस प्रकार होगी जिससे एककों की लागत अनुचित रूप में न बढ़ जाए।

(6) प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर विदेशी सहयोग की अनुमति दी जा सकती है।

(7) आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 19 फरवरी, 1972 की प्रेस टिप्पणी में विदेशी ईक्विटी के भाग करने की जो शर्तें निर्धारित की गई हैं वे शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख कारखानों के मामलों में लागू नहीं की जाएंगी।

(8) निर्यात उत्पादन पर लाभ की दरों को प्रतियोगी बनाये रखने की दृष्टि से निर्यातक एककों को और साथ ही बड़े घरानों/एम आर टी पी एककों को वित्तीय संस्थाओं से सामान्य ऋण/इक्विटी अनुपात पर उधार लेने की अनुमति दी जा सकती है।

(9) स्वदेश में उपलब्ध पूंजीगत माल, संघटक तथा कच्चे माल की अनुमति केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भुगतान किये बिना होगी।

(10) 5 प्रतिशत अथवा उतने प्रतिशत तक जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए अस्वीकृत माल के घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आयातित अन्तर्निविष्ट साधनों पर सीमाशुल्क तथा स्वदेशी अन्तर्निविष्ट साधनों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और साथ ही अस्वीकृत माल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भुगतान करके या इन करों के कुल योग के बराबर राशि का भुगतान करके बेचने की अनुमति दी जा सकती है।

(11) शत प्रतिशत निर्यात प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम के बारे में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है। तथापि ऐसे मामलों में उत्पादन का कम से कम तीन चौथाई अथवा उससे अधिक निर्यात करना पड़ेगा।

(12) निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने की तैयारी की अवधि दो वर्षों से अधिक नहीं होगी तथा अनुमोदन की शर्तों के अनुसार निर्यात दायित्व की अवधि तैयारी की अवधि के बाद आरंभ होगी।

(13) निर्यात दायित्व की शर्त के बारे में बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा इस प्रश्न के बारे में कि क्या किसी एकक को निर्यात दायित्व की अवधि के पूरा होने के बाद बांड मुक्त होने की अनुमति दी जा सकेगी, और इसके बाद घरेलू बाजार के लिए उत्पादन करने की अनुमति दी जा सकेगी, उस समय लागू औद्योगिक नीति, इक्विटी भागीदारी, स्वदेशी क्षमता तथा लघु उद्योग का संरक्षण को देखते हुए निर्णय किया जाएगा।

(14) निर्यात की अवधि के बाद बांड मुक्त करने पर शुल्क निम्नोक्त प्रकार से लगाया जायेगा :—

(क) पूंजीगत माल के ह्रासित मूल्य पर सीमाशुल्क परन्तु उन दरों पर जो आयात के समय प्रचलित थीं;

(ख) अप्रयुक्त आयातित कच्चे माल तथा संघटकों पर उस मूल्य पर सीमाशुल्क लगाया जायेगा जो आयात के समय था और उन दरों पर लगाया जायेगा जो क्लियरेंस के समय प्रचलित था

(ग) उत्पादन शुल्क लगाये जा सकने योग्य माल के संबंध में उत्पादन शुल्क बिना मूल्य ह्रास के लगाया जायेगा और उन दरों पर लगाया जायेगा जो क्लियरेंस के समय रही हों।

(15) औद्योगिक लाइसेंस के लिए औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजा गया आवेदन पत्र एम आर टी पी अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र माना जायेगा और उसको प्रोसेस करने के लिये एक साथ कार्यवाही की जायेगी ताकि बोर्ड द्वारा एक ही स्थान पर क्लियरेंस दी जा सके।

(16) यदि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कोई एकक किन्हीं कारणों से इस योजना के अन्तर्गत अपने निर्यात संबंधी या अन्य दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है, तो बोर्ड उस एकक की परिस्थितियों का पुनर्विलोकन करेगा और इस बात की सिफारिश करेगा कि इस एकक के संबंध में भविष्य में क्या कार्यवाही की जाए।

(17) जो एकक इन विशेष सुविधाओं के लिए मंजूर किये जायेंगे वे आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक को बांड/कानूनी वचनपत्र भर कर देंगे और यदि वे अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो यदि आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत उन पर कोई जुर्माना डाला जा सकता हो तो उसके अलावा उन पर इस प्रकार के बांड/कानूनी वचनपत्र के अनुसार भी जुर्माना डाला जा सकेगा।

शत-प्रतिशत निर्यात के आधार पर विशेष सुविधाओं के जो उत्पाद पात्र हों, उनकी उदाहरणस्वरूप सूची

1 इंजीनियरी माल

1.1 इंजीनियरी माल (प्राथम और अलौह धातुओं को छोड़कर)

1.2 इलैक्ट्रोनिक उत्पाद जिनमें इलैक्ट्रोनिक सोफ्टवेयर शामिल है।

2 रसायन प्लास्टिक के उत्पाद तथा सम्बद्ध उत्पाद अर्थात् :—

(क) अकार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन एवं विविध रसायन।

(ख) औषध एवं औषध मध्यवर्ती पदार्थ जिनमें अन्तःस्रावी औषध शामिल है।

(ग) रंजक एवं रंजक मध्यवर्ती पदार्थ।

(घ) प्रसाधन सामग्री तथा सुगंधित सामग्री (साधित टाल्क को छोड़ कर)।

(ङ) पेंट और संबंधित उत्पाद।

(च) सेफ्टी माचिस, आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ, अधिस्फोटक पदार्थ।

(छ) सिरेमिक उत्पाद ।

(ज) कांच तथा कांच के बर्तन ।

(झ) लकड़ी की चीजें और सम्बद्ध उत्पाद ।

(ण) एस्बेस्टॉस सीमेंट, जिनमें एस्बेस्टॉस और सीमेंट की चीजें शामिल है ।

(ट) रबड़ की चीजें ।

(ठ) कागज, कागज के उत्पाद और लेखन सामग्री ।

(ड) कीटनाशक पदार्थ और परिरक्षण पदार्थ ।

(ढ) अगरबत्तियां ।

2.2 पानी सम्बन्धी [illegible] ।

2.3 अविनस्ट्रूमेंट ।

2.4 प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पाद ।

3. फर्नीचर :

4. चमड़े का और खेलकूद का सामान .

4.1 तैयार चमड़ा और चमड़े की चीजें, जिनमें फुटवियर और पेट ... शामिल है ।

4.2 खेलकूद का सामान ।

5. खाद्य, कृषि तथा वन उत्पाद .

5.1 डिब्बाबन्द तथा बर्फ मे जमे हुए समुद्री उत्पाद ।

5.2 संसाधित खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां तथा अल्कोहल वाले और अमादक पेय ।

5.3 मांस तथा सम्बन्धित उत्पाद ।

5.4 पैकेजबन्द चाय, अर्थात् एक किलो ग्राम तक के उपभोक्ता पैकों में पैक की हुई चाय तथा इन्स्टेंट चाय ।

5.5 पिसी हुई इन्स्टेंट और पैकेजबन्द काफी ।

5.6 तम्बाकू उत्पाद ।

5.7 चावल की तेल रहित भूसी और बिनौले की खली, साल के बीज की खली और पशु खाद्य पदार्थ ।

5.8 आम की गिरी का निष्कर्षण और आम की गिरी का तेल ।

6. वस्त्र

6.1 कालीन

6.2 सिले-सिलाए परिधान, निटवियर तैयार चीजें ।

6.3 रबड़ युक्त कायर और कायर चादर ।

6.4 खादी ।

6.5 प्राकृतिक रेशम के वस्त्र परिधान तथा तैयार चीजें ।

6.6 होजरी ।

7. हथकरघा वस्त्र, तैयार चीजें और परिधान ।

7. विविध .

7.1 हस्तशिल्प की वस्तुएं ।

7.2 चांदी और सोने के आभूषण ।

7.3 [illegible] ।

के० प्रकाश आनन्द, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st December, 1980

100 Per Cent EXPORT ORIENTED UNITS (1)

S.O. No. 8(15)/78-EP.—In order to bridge the increasing deficit in the balance of trade and running down of exchange reserves, it has become necessary to step up the growth of our exports. Accordingly Government have decided to implement a scheme to facilitate the setting up of 100 per cent export oriented units. It has been decided to give such units certain concessions to enable them to meet rigours of foreign demand in terms of pricing, quality precision etc.

2. A 100 per cent export oriented unit would imply an industrial unit offering for exports its entire production excluding permitted levels of rejects. An agreed time-phasing for achieving 100 per cent export will be permissible on merits of each case. Such an unit would belong to an industry in respect of which the export potential and export targets have been considered by the relevant Export Promotion Council. The product concerned should not be subject to export control ... in the industry. The intention is that capacity should be created which should result in additionality of exports and not mere substitution.

3. Minimum value added content of 20 per cent or more will be necessary for production of such a unit. Domestically procured raw materials shall be treated as imports for computation by value added.

4. While approving such a unit the additional employment which would be generated by the proposed unit would also be taken into consideration.

5. An illustrative list of industries which may be considered under the scheme is annexed.

6. All the units intending to set up industries under the scheme shall make applications to the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi in the relevant IL/FC forms super imposed with the words "100 per considered by a Board industry". These applications will be considered by a Board headed by the Commerce Secretary.

7. A unit approved by the Board shall be governed broadly by the following terms and conditions :—

(i) The unit shall undertake to manufacture in bond and to export its entire production for a period of 10 years ordinarily and 5 years in the case of products having high degree of technological change. The Customs Authorities shall provide bond facilities to such units wherever located.

(ii) Import of capital goods, components, and raw materials shall be exempt from import duty. Finished products shall also be exempt from excise and other central levies.

(iii) No export benefits like cash assistance, replenishment licences would be admissible on these exports.

(iv) Import of capital goods, components, raw materials and consumables, as required will be permitted.

(v) Imports of necessary capital goods shall be allowed against free foreign exchange or bilateral credits in such a way that the cost of units is not unduly raised.

(vi) Foreign collaboration may be permitted on merits of each case.

(vii) The conditions for dilution of foreign equity as stipulated in the Department of Economic Affairs Press Note of 1[illegible] February, 1972, will not be enforced in 100 per cent export oriented cases.

(viii) So as to keep rates of return on export production competitive, exporting units including Large Houses, MRTP units may be permitted to borrow from financial institutions at normal debt/equity ratio.

(ix) Indigenously available capital goods, components and raw materials will be allowed without payment of Central Excise Duty.

(x) Rejects up to 5% or such percentage as may be fixed by the Board may be allowed to be sold in the domestic tariff area on payment of customs duty on imported inputs and Central Excise Duty on the indigenous inputs and also Central Excise Duty on the rejects for an amount equal to the aggregate of such duties.

(xi) Time phasing for achieving 100 per cent exports may be considered on merits. However, in such cases exports shall have to be at least three-fourths or more of the production.

(xii) The gestation period for achieving export targets shall not be more than two years and the period of export obligation in terms of the approval shall commence after the gestation period.

(xiii) The condition of export obligation shall be subject to review by the Board and the question whether the unit can be allowed to be debonded after completion of export obligation period and thereafter allowed to produce for domestic market shall be decided in the light of industrial policy in force at that time, equity participation, indigenous capacity and protection to small scale industry.

(xiv) On debonding after the period of export, duties shall be leviable as follows :—

(a) customs duty on capital goods on the depreciated value but at rates prevalent at the time of import;

(b) customs duty on unused imported raw materials and components on value at the time of import and rates in force at the time of clearance; and

(c) in respect of excisable goods, excise duty to be levied without depreciation and at rate attracted at the time of clearance

(xv) An application made for industrial licence to the Secretariat for Industrial Approvals shall be treated as an application under the MRTP Act, 1969 and simultaneous action shall be taken to process the same so that a single point clearance is given by the Board.

(xvi) If any unit approved under this scheme is unable for any reasons, to fulfil its export or other obligations under this scheme, the Board will review the circumstances of that unit and recommend the future course of action to be taken in regard to that unit.

(xvii) The units which are approved for these special facilities would have to execute bond/legal undertaking with the CCI&E and in case of failure to fulfil their obligations, they would be liable to penalty in terms of such bond/legal undertaking besides the penalty, if any, under the Import Trade Control Regulations.

ILLUSTRATIVE LIST OF PRODUCTS WHICH WOULD BE ELIGIBLE FOR SPECIAL FACILITIES ON THE GROUND OF 100 PER CENT EXPORTS

1. Engineering goods :

1.1 Engineering goods (excluding prime and non ferrous metals).
1.2 Electronics products including electronic software.

2. Chemicals, Plastics and Allied Products, namely :

(a) Inorgatic chemicals, organic chemicals and miscellaneous chemicals.

(b) Drugs and drugs intermediates, including crude drugs.

(c) Dyes and dye intermediates.

(d) Toiletaries and perfumeries (excluding processed talc).

(e) Paints and allied products.

(f) Safety matches, fireworks, explosives and detonators.

(g) Ceramic products.

(h) Glass and glassware.

(i) Wood products and processed wood.

(j) Asbestos, cement, including clinkers and cement products.

(k) Rubber manufactures.

(l) Paper, Paper products and Stationery.

(m) Pesticides and preservatives.

(n) Agarbattis.

2.2 Culinary oleo-resins.

2.3 Refractories.

2.4 Plastics and Linoleunt Products.

3. Furniture.

4. Leather and Sports Goods :

4.1 Finished leather and leather manufacturers, including footwear and Paint Brushes.

4.2 Sports goods.

5. Food, Agriculture and Forest Products :

5.1 Canned and frozen marine products.

5.2 Processed foods, fruits, vegetables and alcoholic and soft beverages.

5.3 Meat and allied products.

5.4 Packaged tea i.e. tea packed in consumer packs of a size upto 1 kg. and instant tea.

5.5 Instant and packaged ground coffee.

5.6 Tobacco manufactures.

5.7 Deoiled rice bran and cotton seed cakes, Sal seed fats and animal foods.

5.8 Mango Kernel Extraction and Mango Kernel Oil

6. Textiles :

1. Carpets.
2. Readymade garments, knitwear, made-up articles.
3. Rubberised coir and curled coir.
4. Khadi.
5. Natural silk fabrics, garments and made-up articles.
6. Hosiery.
7. Handloom fabrics, made-up articles and garments.

7. Miscellaneous :

1. Handicrafts.
2. Silver and Gold Jeweller.
3. Fabricated Mica.

K. PRAKASH ANAND, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981